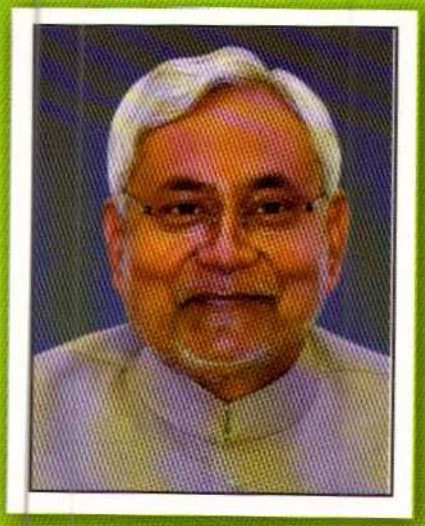

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री
बिहार

बिहार सरकार

डा. मदन मोहन झा
मंत्री
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वर्ष 2016–17
के बजट की मांग संख्या–40 पर

मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का वक्तव्य

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वर्ष 2016–17
के बजट की मांग संख्या–40 पर

मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का वक्तव्य

वर्ष 2016–17 के बजट की मांग संख्या–40 पर

मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

भूमि प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, भू–अभिलेखो के नियमानुसार कालबद्ध रूप से निर्माण एवं संधारण तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों को आवश्यकतानुसार आवास एवं जीविकोपार्जन हेतु एवं भूमि उपलब्ध कराने तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

सुशासन के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा समाज के महादलित वर्ग के साथ–साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए भूमि का सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ प्रबन्धन प्रारम्भ कर दिया गया है।

1. **महादलित विकास योजना–** महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से राज्य में लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास, गैरमजरूआ आम तथा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोवस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत MVR पर प्रति परिवार 05 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाता है। जमीन के बाजार मूल्य में वृद्धि होने के कारण 20000/– रू0 के मूल्य पर 3 डि0 जमीन के क्रय में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए **"सरकार द्वारा रैयती भूमि के क्रय की नयी नीति के तहत् न्यूनतम प्राक्कलित मूल्य (MVR) के आधार पर रैयती भूमि का क्रय कर वासरहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने से सम्बन्धित निर्णय लिया गया है।**

महादलित विकास योजना से अभी तक सभी स्त्रोतों से 2,38,606 परिवारों को 7284.79 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें अबतक कुल–88068 (अठासी हजार अड़सठ) वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि बन्दोबस्ती से उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 3155.78 एकड़ है। इसी प्रकार 46450 (छियालीस हजार चार सौ पचास) वारारहित महादलित परिवार को गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1112.29 एकड़ है।

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत कुल–61,346 (एकसठ हजार तीन सौ छियालीस) महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1765.63 एकड़ है।

रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2625.10/–लाख रूपए पुनरीक्षित 2287.19 लाख रूपये उपबंधित है। यह राशि संबंधित जिलों को अवशेष महादलित परिवार की संख्या तथा जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में आवंटित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए इस योजनान्तर्गत 2075.08 लाख रूपया बजट उपबंध प्रस्तावित है। बिहार

महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत अबतक कुल–42602 वासरहित महादलित परिवारों को रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल सन्निहित रकबा 1246.51 एकड़ भूमि है। अन्य स्त्रोतों से 140 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार उक्त सभी श्रोतों से कुल 238606 परिवारों को कुल 7284.79 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल 3139 (तीन हजार एक सौ उनचालीस) वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

सभी स्रोतों से वासरहित महादलित परिवारों को उपलब्ध करायी गयी वासभूमि से संबंधित विवरणी निम्नवत है :–

जमीन का स्वरूप (स्रोत)	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
		परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	
गैरमजरूआ मालिक भूमि	86324	88068	3155.78	102.02
गैरमजरूआ आम भूमि	47793	46450	1112.29	97.19
वासगीत पर्चा	57533	61346	1765.63	106.63
क्रयनीति के अन्तर्गत	50095	42602	1246.51	85.04
अन्य स्रोतों से	0	140	4.88	0
कुल	241745	238606	7284.79	98.70

महादलित विकास योजना अंतर्गत पूर्व से सर्वेक्षित महादलित परिवारों को 31 मार्च 2016 तक शत प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

2. **अभियान बसेरा :** महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) के वास भूमि रहित परिवारों का सर्वेक्षण कर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वास योग्य 5 डी0 वास भूमि प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने के उदेश्य से ''अभियान वसेरा'' नामक समग्र योजना (Umbrella Scheme) नवम्बर 2014 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना अंतर्गत महादलित विकास योजना (रैयती भूमि क्रय नीति 2010), गृह स्थल योजना (रैयती भूमि क्रय नीति 2011) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को शामिल कर लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत महादलित सहित सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को गैर मजरूआ मालिक / गैर मजरूआ आम / बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वास भूमि उपलब्ध करायी जाती है। जहाँ उक्त तीनों स्रोतों में वास भूमि उपलब्ध नही है वहाँ ऊपर यथा अंकित रैयती भूमि क्रय नीति 2010 एवं 2011 के अंतर्गत न्यूनतम बाजार मूल्य (MVR) पर रैयती भूमि क्रय कर 5 डी0 प्रति परिवार वास भूमि तथा कलस्टर (यथासंभव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 5 डी0 भूमि प्रति परिवार की दर से (अर्थात 100 डी0) वास हेतु तथा वास भूमि के आलावे 20 डी0 अतिरिक्त जमीन आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस अभियान की यह विशेषता है कि इस योजना के अंतर्गत वैसे महादलित परिवार जो महादलित विकास योजना के अंतर्गत छुट गये थे, को अभियान बसेरा के अंतर्गत आच्छादित किया जा रहा है। अभियान बसेरा के अंतर्गत लगातार सर्वेक्षण एवं वास भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

अभियान बसेरा का श्रेणीवार भौतिक प्रतिवेदन			
श्रेणी	कुल सर्वेक्षित परिवार	लाभान्वित परिवार	शेष परिवार
1	2	3	4
पिछड़ी जाति–I	14406	4909	9497
पिछड़ी जाति–II	8428	2573	5855
अनुसूचित जाति	12365	3560	8805
अनुसूचित जनजाति	2961	711	2250
महादलित	60072	27257	32815
कुल योगः–	**98232**	**39010**	**59222**

वित्तीय वर्ष 2016–17 अंतर्गत महादलित विकास योजना हेतु 2075.08 लाख रूपये, गृह स्थल योजना हेतु 100.00 लाख तथा टी0एस0पी0 योजना हेतु 138.34 लाख रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

3. **ऑपरेशन दखल–देहानी :–** राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न श्रेणी यथा गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम, अधिशेष भूगि, भूदान, बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयती, गृह स्थल अधिनियम के अन्तर्गत एवं क्रय नीति से भूमि का वितरण किया गया है, वैसे पर्चाधारियों को उनको आवंटित भूमि पर बेदखल की स्थिति में दखल कब्जा दिलाने के उद्देश्य से "ऑपरेशन भूमि दखल देहानी" के नाम से बेदखल पर्चाधारियों को चिह्नित करने एवं उन्हें आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस योजना अन्तर्गत पंचायतवार विशेष शिविरों का आयोजन कर बेदखली के मामलों का पता लगाने तथा पुलिस बल की मदद से बेदखल पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पर्चाधारियो एवं बेदखली के मामलों तथा शिविरों की तिथि/समय/स्थान की सूचना सम्बन्धित जिलों के वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। अभी तक 50,000 से अधिक पर्चाधारियों को इस अभियान के अंतर्गत उन्हें आवंटित भूमि पर दखल कब्जा दिलाया जा चुका है। दिनांक–31 मार्च, 2016 तक सभी बेदखल हुए पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

ऑपरेशन दखल–देहानी अन्तर्गत बेदखली के मामलों को चिन्हित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन लगातार सितम्बर, 2014 से किया जा रहा है। इस शिविरों के व्यापक प्रसार हेतु प्रति अंचल 10,000/–की दर से कुल रू0 53.40 लाख रू0 मात्र का राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। इन शिविरों में कुल 1,46,093/– (एक लाख छियालिस हजार तिरानवे) बेदखली के मामले प्रकाश में आया है। जनवरी, 2015 से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चिन्हित किये गये बेदखल पर्चाधारियों को उनको आबंटित भूमि पर दखल दिलाया जा रहा है। 28 जनवरी, 2016 तक 44196/– (चौवालीस हजार एक सौ छियानवे) बेदखल किये गये पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर पुनः दखल दिलाया गया है।

4. **बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वास भूमि रहित परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014 :–** राज्य सरकार द्वारा शहरी अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति वास भूमि रहित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु नीति गठित की गयी है। यह नीति देश में किसी राज्य ने पहली बार अपनायी है इसके अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में वास करने वाले अनु0जाति/अनु0 जनजाति के वास भूमि रहित अथवा आवास रहित परिवारों को वास भूमि आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य शहरी क्षेत्र (अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति वास भूमि रहित परिवारों के लिए) वास भूमि नीति, 2014 गठित किया गया है। इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में वास रहित अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों का समय–समय पर राज्य व्यापी सर्वेक्षण किया जायेगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध वास योग्य गैर मजरूआ मालिक/खास महाल एवं कैसरे हिन्द भूमि (जो राज्य सरकार के दखल में हो) को चिन्हित कर सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को भूमि 30 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा तक सतत लीज पर आबंटित की जायेगी। शहरी क्षेत्र के कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक से निवास कर रहे वैसे परिवार जिनके किसी सदस्य के पास राज्य अथवा राज्य के बाहर अपनी वास भूमि अथवा आवास नहीं हो तथा जो शहरी BPL की सूची में शामिल हो वैसे परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। यदि शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं हो पायेगी तो परिवार के सहमति पर निकटतम पंचायतों में 5 डी0 भूमि क्रय कर उपलब्ध करायी जायेगी।

शहरी क्षेत्र के वासरहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परिवारों एवं उन्हें उपलब्ध कराये जानेवाली जमीन का सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रगति पर है। सर्वेक्षण कार्यक्रम के संपादन हेतु राज्य के सभी निकायों यथा नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सर्वेक्षण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गयी है तथा सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

5. **सम्पर्क सड़क योजना :** सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम/टोले/मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि के अर्जन के लिए जिलों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में 550.00 लाख रूपए जिलो से प्राप्त अधियाचना के आलोक में आवंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 70 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 98 ग्राम/टोले/मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 200.00 लाख रूपये का बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	लक्ष्य		उपलब्धि	
	इस योजनान्तर्गत प्रारम्भ की गयी योजनाओं की संख्या	सम्पर्क सड़क से जोड़ने वाली टोलों/मुहल्लों की संख्या	पूर्ण की गयी योजनाओं की संख्या	सम्पर्क सड़क से जुडे टोलों/ मुहल्लों की संख्या
550.00	309	369	70	98

6. **बिहार भूमि न्यायाधिकरण :–**

(i) बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम–09, 2009) की धारा–4(1) के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–8/विविध (पद सृजन)–24–06/11–298 (8)/रा0 दिनांक–02.04.2012 के द्वारा दिनांक–10.01.2012 के प्रभाव से निम्नलिखित को मिलाकर किया गया है :–

क. अध्यक्ष 1 (एक)
ख. प्रशासनिक पक्ष से सदस्य 2 (दो)
ग. न्यायिक पक्ष से सदस्य 2 (दो)

(ii) बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से कार्यशील हुआ।

(iii) बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा निष्पादित वादों एवं अन्य का विवरण :–

क्रमांक	वर्ष	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
1	2012	23	19
2	2013	1009	412
3	अप्रैल 2014 से मार्च 2015	1015	302
4	अपैल 2015 से फरवरी 2016	1628	694
	कुल	**3675**	**1427**

(iv) अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 तक फाइलिंग से आय–62145/–रूपये

(v) अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 तक सर्टिफाईड कॉपी से आय–126628/– रूपये

7. भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009

भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियमों के तहत उठने वाले किसी विवाद के निराकरण में लागू होगी, क्योकि उक्त अधिनियम में ऐसे विवादों को समाहित किया गया है और उनके समाधान के लिए मंच, प्रक्रिया तथा संयंत्र का प्रावधान किया गया है:–

(i) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950

(ii) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885

(iii) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947

(iv) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954

(v). बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भू–अर्जन) अधिनियम, 1961

(vi) बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956

सरकार द्वारा बन्दोबस्त की गयी जमीन से उत्पन्न विवाद, भूहदबंदी के अन्तर्गत अर्जित अधिशेष भूमि के वितरण से उत्पन्न विवाद, भूदान द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि से उत्पन्न विवाद एवं सरकार द्वारा क्रय कर उपलब्ध करायी गई जमीन से बेदखल किये जाने, सीमा विवाद एवं रैयती भूमि से संबंधित विवादों के समाधान हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 प्रभार में लाया गया है। उक्त अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दायर किये जाते है जिसका निष्पादन उनके द्वारा 90 दिनों के अन्दर किया जाता है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा उक्त अधिनियम के तहत आदेश का अनुपालन अंचल अधिकारियों/थाना प्रभारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसके तहत पीड़ित पक्षों को त्वरित न्याय प्राप्त हो रहा है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित पक्ष के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में अपीलवाद दायर करने का प्रावधान निर्धारित है। दिनांक–01.04.2015 से भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के वादों का अनुश्रवण ऑन लाईन पोर्टल से किया जा रहा है। इस व्यवस्था में अनुमंडल /प्रमंडल के द्वारा प्रविष्टियाँ की जाती है जिसका अनुश्रवण विभाग द्वारा की जाती है।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत (1 अप्रैल 2015 से पूर्व के लंबित तथा वित्तीय वर्ष 2015–16) दायर वादों एवं निष्पादित वादों की स्थिति निम्नवत है :–

(i) अब तक दायर वादों की संख्या– 7329

(ii) अब तक निष्पादित वादों की संख्या– 4422

8. भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में अबतक विभिन्न विभागों/निगमों/केन्द्रीय संस्थाओं को भूमि (निःशुल्क एवं सशुल्क) हस्तान्तरित की गई है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य स्तर से कुल–42 भूमि हस्तान्तरण के मामले निष्पादित किए गए हैं। इसमें कुल 824.30575 एकड़ भूमि हस्तान्तरित किए गए हैं।

भूमि हस्तान्तरण को सरल बनान के उदेश्य से राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–359 (6) दिनांक–19.05.2014 द्वारा सरकारी भूमि के अन्तर विभागीय (निःशुल्क) हस्तान्तरण कि शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त (3 से 5 एकड़ तक) एवं समाहर्त्ता (3 एकड़ तक) को प्रत्यायोजित किया गया है जिससे अन्तर विभगीय भूमि हस्तान्तरण के अधिकांश मामले प्रमण्डल एवं जिला स्तर पर निष्पादित किये जा रहे है। राज्य स्तर पर उससे इतर का हस्तान्तरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष, 2015–16 विभिन्न विभागों/संस्थानों इत्यादि को हस्तान्तरित सरकारी भूमि की अद्यतन विवरणी :–

क्र0	विभाग/उपक्रम जिन्हें भूमि हस्तान्तरित की गयी।	रकबा (एकड) में	कुल रकवा
1	2	3	4
1	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, बेगूसराय	0.59	विद्युत विभाग का कुल रकवा– 71.98525 एकड़
2	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड जहानाबाद	0.60	
3	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड भोजपुर	0.50	
4	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, वैशाली	3.66	
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, प0 चम्पारण	3.50	
6	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, प0 चम्पारण	0.50	
7	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, प0 चम्पारण	0.50	
8	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, समस्तीपुर	4.85	उर्जा विभाग को
9	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मधुबनी	14.50	
10	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मधुबनी	5.00	
11	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, अररिया	0.60	
12	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, अररिया	0.60	
13	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, गोपालगंज	0.50	
14	बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, सिवान	4.64	

15	बिहार स्टैट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, कटिहार	2.65	
16	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, रोहतास	0.50	
17	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बांका	0.595	
18	बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लिमिटेड, पूर्वी चम्पारण	3.00	
19	बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लिमिटेड, पूर्वी चम्पारण	5.00	
20	बिहार स्टेट पावर होल्डिग कम्पनी लिमिटेड, पटना	0.53725	71.98525 एकड़
21	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, मुंगेर	0.5930	
22	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, पटना (नवादा)	6.00	
23	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, पटना (सारण)	6.00	
24	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, कैमूर	0.59	
25	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, कैमूर	0.59	
26	बिहार डिग्री कम्पनी, भागलपुर।	5.39	
27	नौहट्टा अंचल के मौजा–पहाड़िया में डिग्री कॉलेज की स्थापना, रोहतास।	10.00	शिक्षा विभाग
28	मधुबन अंचल में डिग्री कॉलेज, मधुबन की स्थापना हेतु पू0 चम्पारण।	7.85	शिक्षा विभाग
29	डेहरी अचंल के मौजा–डेहरी में व्यवहार न्यायलय डेहरी के भवन निर्माण हेतु, रोहतास।	8.47	विधि विभाग
30	पटना सदर अंचल के पटना गया रोड़ के बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार हेतु पटना।	0.344	विधि विभाग
31	विक्रमगंज अंचल के मौजा–सलेमपुर में प्रखण्ड–सह–अचंल कार्यालय, विक्रमगंज के भवन निर्माण हेतु, रोहतास।	5.60	ग्रामीण विकास विभाग को हस्तान्तरित
32	विभिन्न अंचलों की बरनाल जलाश्य परियोजना हेतु, जमूई।	468.11	पर्यावरण एवं वन विभाग
33	कोचाधामन अंचल के मौजा–बसताकोला में पुलिस केन्द्र, किशनगंज की स्थापना, किशनगंज।	30.00	गृह विभाग
34	राघोपुर अंचल के मौजा–जफराबाद में गंगा पथ परियोजना के निर्माण हेतु, वैशाली।	15.60	पथ निर्माण विभाग
35	नवादा सदर अंचल के मौजा–बुघौल में सदर अस्पताल, नवादा के भवन एवं आवास निर्माण हेतु, नवादा।	16.00	स्वास्थ्य विभाग
36	गया जिला अंतर्गत राजमार्ग–02 के 6 लेन हेतु, गया।	26.1065	राष्ट्रीय राजर्मागा प्राधिकरण (NHAI)
37	बोधगया अंचल में मगध विश्वविद्यालय के भूमि पर भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बोधगया की स्थापना हेतु, गया।	118.82	भारतीय प्रबन्धन संस्थान बोधगया
38	बख्तियारपुर अंचल के मौजा–देदौर में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु, पटना।	10.00	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
39	हवेलीखड़गपुर अचंल में जलपुर्ति योजना हेतु, मुंगेर।	9.92	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
40	बरौनी अंचल के मौजा–मलहीपुर में जलपुर्ति योजना हेतु, बेगुसराय।	16.00	
41	नवीनगर थर्मल पावर परियोजना हेतु एन0 टी0 पी0सी0 को हस्तान्तरित भूमि में से 3.00 एकड़ रैयतीकृत भूमि को हस्तान्तरण अधिसूचना से विमुक्ति, औरंगाबाद	3.00	
42	पटना सदर अंचल के मौजा–मैनपुरा, दियारा में गंगा रेल पुल परियोजना से विस्थापित 205 परिवारों का पुनर्वासन, पटना।	6.50	
वित्तीय वर्ष, 2015–16 में विद्युत उपकेन्द्र/पावर ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण हेतु विभिन्न जिलों में कुल–71.98525 एकड़ सरकारी भूमि हस्तान्तरित की गयी है।			

नोट :– मार्च, 2015 से अबतक विभिन्न विभागों/संस्थानों इत्यादि को कुल–752.3205 एकड़ सरकारी भूमि हस्तान्तरित की गयी है, जिसमें ड्रिग्री कॉलेज के लिए कुल–7.85 एकड़ भारतीय प्रबन्धन संस्थान (I.I.M) बोधगया की स्थापना हेतु कुल–118.82 एकड़ एवं जमुई जिले के विभिन्न अंचलों की बरनाल जलाशय परियोजना हतु कुल–468.11 एकड़ भूमि सम्मिलित है।

9. **राज्य के शहरी क्षेत्रों में सरकारी (लोक) भूमि की घेराबंदी :–** सरकारी भूमि के लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं अतिक्रमण मुक्त कराकर सरकारी भूमि को सुरक्षित किए जाने हेतु इसकी घेराबंदी कराए जाने की आवश्यकता को देखते हुए इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में 49.00 लाख (उनचास लाख) रू0 का बजट उपबंध प्रस्तावित है। यह कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।

10. **दाखिल–खारिज :–** लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत् दाखिल-खारिज से सम्बन्धित सभी आवेदन पत्र अंचल कार्यालय में संचालित RTPS काउन्टर पर प्राप्त किया जाता है एवं उसका निष्पादन उक्त अधिनियम के तहत् निर्धारित अवधि यथा जिन मामलों में आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है का निष्पादन 15+3=18 दिनों में एवं जिन मामलों में आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त होता है का निष्पादन 2 माह में किया जाता है। दाखिल–खारिज वादों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी समाहर्त्ताओं को प्रत्येक मंगलवार को जिला के सभी अंचलों में राजस्व शिविरों का आयोजन किये जाने का आदेश दिया गया है जिसके आलोक में पाँच पंचायतों की सीमा क्षेत्र के लिए प्रत्येक मंगलवार को राज्य के सभी अंचलों में राजस्व शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें दाखिल–खारिज के वैसे वादों जिसमें कोई आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है, का निष्पादन शिविर में ही आवेदन प्राप्त होने की तिथि को किया जाता है। राजस्व शिविर में जिन मामलों में आपत्ति आवेदन पत्र राजस्व प्राप्त होता है वैसे मामलों का निष्पादन संबंधित पक्षों के द्वारा समर्पित साक्ष्यों की जाँच कर अगले शिविर में किया जाता है। राजस्व शिविर का आयोजन पाँच पंचायतों के लिए स्थल पर किया जाता है, जहाँ दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन के साथ ही रैयतों को शुद्धि पत्र एवं लगान रसीद भी उपलब्ध करा दिया जाता है। उक्त शिविर में दाखिल–खारिज के साथ ही अन्य राजस्व से संबंधित मामलों का निष्पादन भी किया जाता है।

1. दाखिल–खारिज की वर्षवार विवरणी निम्न प्रकार है :–

वित्तीय वर्ष	कुल दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
2013–14	1720696	1711482
2014–15	1494228	1378275
2015–16	443957	424708

11. भू–लगान

(i) भू–लगान, सेस, सैरात एवं अन्य विविध माँग का लक्ष्य एवं उपलब्धि प्रतिवेदन।

(ii) भू–लगान की वसूली न सिर्फ राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वरन लगान रसीद भूमि संबंधी विवादों के निष्पादन एवं समाजिक शांति बनाये रखने में भी अहम भूमिका अदा करती है।

(iii) राजस्व लगान की वसूली से संबंधित विवरणी :

वित्तीय वर्ष	भू–लगान वसूली का लक्ष्य (करोड़ में)	लगान की प्राप्ति (करोड़ में)	प्रतिशत
2013–14	205.00	204.08	99.5
2014–15	250.00	271.57	108.63
2015–16 माह–फरवरी 2016	300.00	517.50	172.50

वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 300 करोड़ के विरूद्ध अद्यतन रू0 517.50 करोड़ के लगान की रेकॉर्ड वसूली हुई है जो लक्ष्य का 172.50 प्रतिशत है।

12. निलाम पत्र वाद :–

(i) वर्ष 2013–14 में कुल 188.77 करोड़ रूपये की वसूली की गई।

(ii) वर्ष 2014–15 में कुल 247.35 करोड़ रूपये की वसूली की गई।

(iii) वर्ष 2015–16 में माह–फरवरी 2016 तक कुल 258.72 करोड़ रूपये की वसूली की गई।

13. सैरात :–

सैरातों की बन्दोबस्ती से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	सैरातों की संख्या	बन्दोबस्त सैरातों की सं0	बन्दोबस्ती/ विभागीय वसूली से प्राप्त राशि (रू0 लाख में)
2010–11	6927	3368	946.11
2011–12	6903	3607	102.33
2012–13	6095	2743	109.33
2013–14	5888	3935	148.95
2014–15	6596	3964	134.98
2015–16	6435	3168	1866.77

14. बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वाधान में मेलों का आयोजन (वर्ष 2015–16)

वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में हाट, बाजार, कचहरी आदि के संरक्षण हेतु कुल उपबंधित राशि 5,88,17,000=00 रूपया है। जिसके विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष में निम्न मेला के आयोजनार्थ विभिन्न जिलों के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि की विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	मेला का नाम	जिला का नाम	विमुक्त राशि
1	2	3	4
1	राजगीर मलमास मेला, 2015	नालन्दा	1,00,000=00
2	पितृपक्ष मेला, 2015,	गया	55,00,000=00
3	श्रावणी मेला, 2015	बांका	40,00,000=00
4	कार्तिक पूर्णिमा मेला, 2014 एवं माघी पूर्णिमा मेला, 2015	बेगुसराय को अतिरिक्त आवंटन	2,10,000=00
5	बाबा हरिगिरीधाम श्रावणी मेला, 2014	बेगुसराय को अतिरिक्त आवंटन	5,76,000=00
6	श्रावणी मेला, 2015	भागलपुर	58,00,000=00
7	श्रावणी मेला, 2015	मुंगेर	45,01,288=00
8	श्रावणी मेला, 2015	लखीसराय	18,00,000=00
9	श्रावणी मेला, 2015	जमुई	10,00,000=00
10	बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला, 2015	मुजफ्फरपुर	23,00,000=00
11	बाबा दूधनाथ श्रावणी मेला, 2015	मुजफ्फरपुर	13,00,000=00
12	बाबा हरिगिरी धाम श्रावणी मेला, 2015	बेगुसराय	43,76,000=00
13	अरेराज श्रावणी मेला, 2015	पूर्वी चम्पारण	2,30,000=00
14	बाबा केवल स्थान राजकीय मेला, 2015	समस्तीपुर	20,00,000=00
15	राजगीर मलमास मेला, 2015	नालन्दा	2,50,000=00
16	पहलेजाघाट श्रावणी मेला, 2015	सारण	2,50,000=00
17	पुनपुन पितपक्ष मेला, 2015	पटना	17,00,000=00
18	सिमरिया मेला, 2015	बेगुसराय	22,00,000=00
19	औरंगाबाद देव कार्तिक छठ मेला, देवी चैती छठ गेला, 2015 एवं बकाया भुगतान	औरंगाबाद	15,00,000=00
20	मंदार महोत्सव (बौंसी मेला) एवं पापहरणी मेला, 2015	बांका	10,00,000=00
21	राष्ट्रीय चौहरमल मेला, 2015 (बकाया सहित)	बाढ़, पटना	30,00,000=00
		कुल योग :–	4,35,93,288=00

15. **भू–अर्जन :–** वित्तीय वर्ष–2016–17 में अधियाची विभाग/प्राधिकार से प्राप्त होने वाले अधियाचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन की प्रारंभ की गयी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विवरणी :–

1. जिला मुख्यालय/अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय स्तर पर लैंड बैंक योजना
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)
3. जोगवनी से विराट नगर (भारत–नेपाल नई रेल लाईन)
4. जयनगर –बिजलपुरा–वर्दीदास–(भारत–नेपाल नई रेल लाईन)
5. अररिया–गलगलिया नई रेल लाईन
6. बिहटा–औरंगाबाद नई रेल लाईन
7. गया–चतरा नई रेल लाईन
8. हाजीपुर–रामदयालुनगर रेलवे लाईन दोहरीकरण
9. सीतामढ़ी–जयनगर–निर्मली नई रेल लाईन
10. सकरी–हसनपुर– भाया –कुशेश्वर स्थान नई रेल लाईन
11. मोतिहारी–सीतामढ़ी नई रेल लाईन
12. मुजफ्फरपुर–कटरा–ओरल–जनकपुर नई रेल लाईन
13. आरा–भभुआ–मुदेश्वरी नई रेल लाईन
14. गया–डालटेनगंज–भाया–रफीगंज नई रेल लाईन
15. भारत–नेपाल सीमा पथ
16. एस0एस0बी0, बटालियन हेडक्वार्टर, सीतामढ़ी
17. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, पूर्वी चम्पारण
18. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, सीतामढ़ी
19. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, किशनगंज
20. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, मधुबनी
21. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, पश्चिम चम्पारण
22. एन0 एच0 ए0 आई0 की महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ– एन0एच0–30 ए0, एन0एच0–82, एन0एच0–98, एन0एच0–104, एन0एच0–106, एन0एच0–107, एन0एच0–131–ए, एन0एच0–527–सी0 इत्यादि।

दिनांक–01.01.2015 से दिनांक–29.02.2016 तक विभिन्न परियोजनाओं हेतु कुल 566.66 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र0	परियोजना का नाम	संबंधित जिला	अर्जित रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4
1	भारत–नेपाल सीमा पथ	प0चंपारण (बेतिया)	196.79
2	भारत–नेपाल सीमा पथ	पू0चंपारण (मोतिहारी)	237.59
3	बी0एम0पी0–11 का मुख्यालय भवन	जमुई	58.43
4	बी0एम0पी0–11 का सिपाही प्रशिक्षण स्कूल	जमुई	63.85
		कुल योगः–	**556.66**

16. **बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 का गठन।**

भूमि अधिग्रहण के मामलों में सभी हितबद्ध भू–धारियों/किसानों को हितकारी बनाया गया है। बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

(i) अधिग्रहित भूमि से प्रभावित कृषक मजदूरों को 200 दिनों की वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य एक मुश्त राशि का भुगतान का प्रावधान।

(ii) अधिग्रहित भूमि पर काश्तकारी या साझी में फसल पैदा करनेवाले काश्तकारों और बटाईदारों को रू0 25000.00 प्रति एकड़ एकमुश्त राशि भुगतान का प्रावधान।

(iii) अधिग्रहित भूमि से प्रभावित शिल्पकारों को रू0 25000.00 प्रति एकड़ एकमुश्त भुगतान का प्रावधान।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य पर 4 गुणा (गुणक–2) मुआवजा राशि देने का प्रावधान।

(v) मुआवजा राशि का वितरण शिविर का आयोजन कर भू धारियों को किया जाना।

17. **बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014**: बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1440/रा0, दिनांक– 13.11.2014 द्वारा निर्गत एवं संसूचित है। नीति की कंडिका–1 में यह प्रावधान किया गया है कि आधारभूत संरचना, जैसे–शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं /सम्पर्क पथ/स्टेडियम/बांध/ नहर/लैंड बैंक,

आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिनियम की धारा–2(1) के अधीन परिभाषित अन्य लोक उद्देश्य से कार्यों के लिए भूमि सतत लीज पर ली जा सकेगी।

सतत लीज पर भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बाजार दर (एम0भी0आर0) के 4 (चार) गुणी एवं शहरी क्षेत्रों में 2 (दो) गुणी दर पर उनकी सहमति से प्राप्त की जाएगी।

उक्त नीति के तहत कतिपय परियोजनाओं में भूमि लेने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सारण एवं वैशाली जिलों में पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस नीति के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने की अच्छी पहल हुई है। इसके अतिरिक्त उर्जा विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा भी इस नीति का समुचित उपयोग किया जा रहा है। इससे भूमि के अर्जन की प्रक्रिया सरल हो गई है।

18. **केन्द्र प्रायोजित योजना National Land Record Modernization Programme (NLRMP) राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम :–**

भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम)

इस योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण, खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितो की रक्षा की जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 में आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस कार्य हेतु राज्यांश के रूप में 7650.31 लाख रूपये एवं केन्द्रांश की राशि 507.00 लाख रूपये उपबंधित है। एन0एल0आर0एम0पी0 योजना के अंतर्गत निम्न कार्य किए जा रहे हैं :–

(i). **डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार :–** आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री–सर्वे मानचित्र तथा खतियान के डाटा का प्रत्येक अंचल में संधारण तथा समय समय पर अद्यतीकरण करते हुए भू–धारियों को भू–अभिलेखों की आपूर्ति कराया जाना है।

भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य योजना मद से 30.65 लाख रूपये प्रति अंचल तथा आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 12.50 लाख रूपये प्रति अंचल की दर से राशि विमुक्त की जाती है। कुल स्वीकृति 23042.10 लाख रूपये की है।

भू–अभिलेखों का मुख्य स्त्रोत अंचल कार्यालय है। आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री–सर्वे मानचित्र तथा अद्यतन खतियान का उचित संधारण तथा समय समय पर अद्यतीकरण करते हुए भू–धारियों को इसकी आपूर्ति के कार्य हेतु आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। इन आधुनिक उपकरणों को प्रत्येक डाटा केन्द्र सह आधुनिक

अभिलेखागार में स्थापित कराया जा रहा है। राज्य के सभी 534 अंचलों में भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। अभी तक 246 अंचलों में भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 145 अंचलों के लिए आधुनिक उपकरण बेलट्रॉन द्वारा आपूर्ति किया जा चुका है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में शेष अंचलों में डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार का भवन निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस कार्य हेतु 30 करोड़ रूपये का बजट उपबंधित है।

(ii) **सर्वे मानचित्रों का डिजिटाईजेशन :–** वर्षो पूर्व कागज पर तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों को नष्ट होने से बचाने तथा खतियान के साथ Integrate करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में मानचित्रों का संधारण किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य के सभी 38 जिलों का कैडस्ट्रल एवं 28 जिलों यथा भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, सिवान, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर, पटना, अररिया, कटिहार, नालंदा, सुपौल, गया, शिवहर, सहरसा, नवादा, मधेपुरा, वैशाली, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी एवं किशनगंज में रिविजनल मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है।

बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से राज्य के सभी जिलों के डिजिटल राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो चुका है। राज्य के 07 जिलों यथा नालंदा, पटना, खगड़िया, मधेपुरा, भोजपुर, बक्सर एवं कैमूर सदर अंचल कार्यालय से संबंधित जिला के सभी अंचलों के डिजिटल राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लखीसराय, सहरसा, बेगूसराय, सुपौल एवं मधेपुरा में उक्त कार्य हेतु प्लौटर स्थापित कर दिया गया है एवं मानचित्र आपूर्ति कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

अगले चरण में शेष सभी जिलों के सदर अंचलों से डिजिटल राजस्व मानचित्र आपूर्ति का कार्य प्रारंभ करने की योजना है।

(iii) **डाटा इंट्री/री–इंट्री/डाटा कनवर्जन :–** राज्य के प्रत्येक भू–धारी के अद्यतन चालू खतियान का निर्माण एवं कम्प्यूटरीकरण करते हुए विभागीय वेबसाईट पर डाटा का प्रकाशन तथा सुविधा केन्द्रों से रैयतों/किसानों को खतियान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

इस कार्य हेतु एन0आई0सी0, पटना द्वारा "भू–अभिलेख–2" नाम से सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य के सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। सॉफ्टवेयर खतियान के 14 कॉलम के प्रपत्र पर आधारित है। अभी तक 18 जिलों यथा नालंदा, लखीसराय, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, मधेपुरा, पटना (आंशिक रूप से), बेगूसराय (आंशिक रूप से), कैमूर (आंशिक

रूप से) जहानाबाद (02 अंचल का) एवं वैशाली (आंशिक रूप से) का चालू खतियान विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा चुका है।

भू–अभिलेखों की ऑनलाईन आपूर्ति तथा समय समय पर किए जाने वाले अद्यतीकरण कार्य के लिए जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर के कार्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित किया गया है।

भू–अभिलेखों का मुख्य स्रोत अंचल कार्यालय है। अतएव अंचल कार्यालय द्वारा अद्यतन किए गए भू–अभिलेख डाटा के ऑनलाईन उपयोग हेतु अनुमंडल एवं अंचलस्तरीय कार्यालयों के बीच अन्तःसम्बद्धीकरण (Interconnectivity) का लक्ष्य रखा गया है।

(iv) **प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक/उपकरणों का प्रशिक्षण देते हुए क्षमता वृद्धि करना है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भूमि की मापी में ई0टी0एस0/डी0जी0पी0एस0 तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व मानचित्रों में प्लौट विभाजन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि बंदोबस्त कार्यालय एवं अन्य राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण देते हुए उनकी क्षमता वृद्धि की जाए ताकि भूमि प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावशाली ढ़ग से लागू किया जा सके। वर्त्तमान में प्राथमिकता के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों /कानूनगो/अमीन को आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के भवन का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। उपस्कर आदि के क्रय का कार्य प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

(v) **री–सर्वे एवं हवाई फोटोग्राफी** :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन की संकर प्रणाली के माध्यम से री–सर्वे मानचित्र तैयार कराया जा रहा है। अद्यतन री–सर्वे मानचित्र के आधार पर बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा अद्यतन खतियान तैयार किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से री–सर्वे कार्यक्रम के अन्तर्गत नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा जिला का हवाई फोटोग्राफी से डाटा संकलित कर लिया गया है। वर्त्तमान में नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया तथा लखीसराय जिलों के 897 राजस्व ग्रामों के मानचित्र का सत्यापन, 349 राजस्व ग्रामों के मानचित्र का खानापुरी कार्य, 103 राजस्व ग्रामों के प्रारूप

प्रकाशन का कार्य, 02 राजस्व ग्रामों के मानचित्र एवं अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 49 राजस्व ग्रामों का मानचित्र अंतिम प्रकाशन हेतु तैयार है। इस हेतु केन्द्रांश के रूप में 507.00 लाख रूपये एवं राज्यांश के रूप में 450.31 लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंधित है।

(vi) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण करने हेतु समय–सीमा के अंतर्गत रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड़ मैंप के आलोक में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

19. चकबन्दी

जोतों की चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्त्तमान में राज्य के 5 जिलों के निम्नलिखित कुल 39 अंचलों में सक्रिय रूप से कार्य जारी है –

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमरांव	1. मोहनिया	1. सासाराम	1. कटैया
2. संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभूआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. ईटाढ़ी	3. चांद	3. नासरीगंज	
4. बिहीया	4. सिमरी	4. भगवानपुर	4. काराकाट	
5. बड़हरा	5. नावानगर	5. दुर्गावती	5. विक्रमगंज	
6. उद्वन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ़	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनारी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

अभी तक बिहार जोतो का समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम–1956 (चकबंदी अधिनियम) कि धारा 26(क) के अन्तर्गत 4840 ग्रामों का अनाधिसूचित (De-Notify) किया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्वर्गो के कुल 344 कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर किया जा चुका हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु 900 लाख रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

चकबंदी योजना को सफलतापूर्वक समयबद्ध समय–सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने हेतु एक रोड मैप तैयार किया गया है इस रोड मैप के अनुसार मार्च–2016 तक अधिनियम कि धारा 26(क) के अंतर्गत 770 ग्रामों को अनाधिसूचित (De-Notify) करने का लक्ष्य रखा गया है।

20. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार :–

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु आकस्मिक व्यय के लिए राशि की आवश्यकता होगी। उक्त राशि से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु डिसप्ले बोर्ड का अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/जेनरेटर के ईंधन पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों पर व्यय किया जायेगा।

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दो सेवा उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनकी समय सीमा निम्नवत् है :–

क्र0	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5
1	दाखिल–खारिज	दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन	अंचलाधिकारी	18 कार्य दिवस
		(क) आपत्ति रहित वाद		
		(ख) वाद, जिनमें आपत्ति दाखिल की गयी हो	अंचलाधिकारी	60 कार्य दिवस
		(ग) अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	3 कार्य दिवस
	शिविर	दाखिल खारिज वादो का निष्पादन	अंचलाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(क) आपत्ति रहित वाद		
		(ख) आपत्ति विहीन वाद में संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवस
		(ग) आपत्ति रहित वाद	अंचलाधिकारी	60 दिवस
		(घ) आपत्ति युक्त वाद संधोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवस
2	भूमि धारण (पोजेशन) प्रमाण–पत्र	लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट का निर्गमन	अंचलाधिकारी	10 कार्य दिवस

21. भू–दान :–

राज्य अन्तर्गत भू–दान से प्राप्त भूमि का वितरण बिहार भू–दान यज्ञ कमिटी के माध्यम से किया जाता है। राज्य में भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 (छः लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तिरानवे दशमलव एक चार) एकड़ में से 3,46,494.95 (तीन लाख छियालीस हजार चार सौ चौरानवे दशमलव नौ पाँच) एकड़ भूमि सम्पुष्ट की गयी है। अभी तक 2,56,392.39 (दो लाख छप्पन हजार तीन सौ वानवे दशमलव तीन नौ) एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 5,990.03 (पाँच हजार नौ सौ नव्वे दसमलव शून्य तीन) एकड़ भूमि के वितरण का कार्य कमिटी द्वारा किया जा रहा है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिससे

भूदान भूमि के वितरण एवं इससे जुड़े अन्य कार्यों पर व्यय की प्रतिपूर्ति होती है। वर्ष 2016–17 में भूदान यज्ञ कमिटी के लिए सहाय्य अनुदान मद में 1,58,16,000/– (एक करोड़ अंठावन लाख सोलह हजार) रूपये मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

				एकड़ में
भूदान से प्राप्त भूमि	सम्पुष्ट भूमि	वितरण में अयोग्य	वितरित भूमि	अवितरित शेष भूमि
648593.14	346494.95	386210.72	256392.39	5990.03

22 भू–हदबंदी (सीलिंग)

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियत तिथि (09.09.1970) के प्रभाव से किसी भी भूमि पर किसी भी परिवार को अधिनियम की धारा–5 के अधीन धारित करने हेतु भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

इसके पश्चात् अधिनियम के धारा–15 के अधीन उक्त सीमा से अधिक भूमि का अर्जन कर उक्त भूमि पर से भू–स्वामी का स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता है एवं अर्जित भूमि को भू–हदबंदी की धारा–27 के अधीन विहित रीति से सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों के बीच वितरित किया जाता है।

वर्त्तमान में भू–हदबंदी के अधीन राज्य में कुल 329905.09 एकड़ भूमि अर्जित की गई जिसे कुल 332486 परिवारों के बीच 258358.966 एकड़ भूमि का वितरण किया गया है एवं शेष भूमि अयोग्य है।

भू–हदबंदी से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में निम्नांकित वाद लंबित है :–

क्रम	न्यायालय	वादों की संख्या	रकवा
1	2	3	4
1	अनुमंडल पदाधिकारी	176	19119.916
2	अपर समाहर्त्ता	189	23977.381
3	समाहर्त्ता	303	23653.313
4	प्रमण्डलीय आयुक्त	21	2112.19
5	राजस्व पर्षद	76	6239.94
6	उच्च न्यायालय, पटना	301	18000.93
7	सर्वोच्च न्यायालय	10	0.00
8	राज्य स्तरीय	72	6021.17
	कुल योग	**1148**	**99125.370**

विभाग द्वारा अधिशेष भूमि से त्वरित निष्पादन/सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विशेष न्यायपीठ (बेंच) गठित करने तथा वादों में पैरवी करने हेतु विधि पदाधिकारियों को विशेष रूप से प्राधिकृत करने के संबंध में विधि विभाग को पत्र भेज कर अनुरोध किया गया है।

23. **कृषि गणना**

कृषि गणना केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना स्कीम है जिसके अन्तर्गत ऑपरेशनल होल्डिग के विभिन्न आकार वर्गो में कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं यथा जोतों कि संख्या एवं क्षेत्रफल, भू–उपयोग, सिंचाई की स्थिति, फसल प्रतिमान आदि पर आँकडे संकलित किये जाते है, जो कृषि विकास के कार्यक्रमों के निर्माण एवं उनके प्रगति के लिए उपयोगी है।

राज्य में कृषि गणना सन्दर्भ वर्ष 2010–11 का कार्य सम्पन्न हो चुका है तथा कृषि गणना 2015–16 के क्रियान्वयन के निमित्त प्रारम्भिक स्तर की तैयारी की जा रही है। कृषि गणना 2015–16 का क्षेत्रीय कार्य जुलाई 2016 से प्रारंभ होगी।

चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में केन्द्रीय योजनागत योजना अर्न्तगत केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना स्कीम कृषि गणना के मुख्य शीर्ष 3454 में कुल–145.30 लाख का उपबन्ध है जिसके विरूद्ध माह जनवरी' 16 तक कुल–23.67 लाख राशि का व्यय हुआ है जो मुख्यतः स्थापना मद से संबंधित है।

24. **विभागीय मुख्यालय कार्यालय कक्षो/ प्रकोष्ठों का आधुनिकीकरण :–** राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के कार्यालयों एवं प्रकोष्ठों तथा बुद्ध मार्ग पटना स्थित चकबंदी निदेशालय के कार्यालय के आधुनिकिकरण मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रूपये 1,00,00,000/–(एक करोड़) का बजट उपबंध भवन निर्माण विभाग के मुख्य शीर्ष–2059 माँग संख्या–03 के अंतर्गत प्रस्तावित है।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस कार्य को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

25. **बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय** एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रूपये 50.00 (पचास) लाख का बजट उपबंध भवन निर्माण विभाग के मुख्य शीर्ष 4059 मांग सं0–3 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस कार्य को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

26. (i) **राजस्व कर्मचारी संवर्ग के पद पर नियुक्ति :** पूर्व में दो या दो से अधिक पंचायतों को मिलाकर एक राजस्व हल्का सृजित था। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने एवं आम लोगों की सुविधा हेतु राज्य के सभी पंचायतों को राजस्व हल्का के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। पूर्व में राज्य में कुल–4045 राजस्व हल्का था। पंचायतों को राजस्व हल्का का दर्जा दिये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में राज्य में राजस्व हल्कों की कुल संख्या–8463 हो गयी है, जिसके कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी संवर्ग के 4353 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। आयोग से अनुशंसा प्राप्त होते ही राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) **अमीन संवर्ग के पद पर नियुक्ति :** राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अमीन संवर्ग के कुल 721 रिक्त पदों (जिला उप संवर्ग के 389 पद, भू–अभिलेख एवं परिमाप उप संवर्ग के 35 पद एवं चकबन्दी निदेशालय के उप संवर्ग के 297 पद) पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी थी। जिसके विरूद्ध कुल 820 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त हुई। अनुशंसा सूची के अनुसार कुल तीन अभ्यर्थियों की अर्हता नियमावली के अनुसार पाई गई जिनकी नियुक्ति की गयी है। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली में अहर्त्ता के बिन्दु पर संशोधन प्रस्तावित है। संशोधनोपरान्त नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।

भूमि विवाद के त्वरित निष्पादन हेतु प्रति 5 पंचायत की दर से एक अमीन अधिकतम एक अंचल में 5 अमीन के पद सृजन किया गया है। इस प्रकार 1167 अमीन के अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।

(iii) **लिपिक संवर्ग में समायोजन :** जन शिक्षा निदेशालय से प्राप्त 99 पूर्व अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को लिपिक में समायोजन किया गया जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत चकबन्दी निदेशालय एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में नियुक्त किया गया है।

27. **क्षमता वर्द्धन :–** राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्षमतावर्द्धन योजना अन्तर्गत विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों के कौशल में वृद्धि हेतु राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का विभिन्न चरणों में (अभी तक 15 चरण) चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन अनुग्रह नारायण सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना में राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी अंचल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य के सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को तीन चरण में राजस्व विषयों की चार दिवसीय प्रशिक्षण अनुग्रह नारायण सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना में दिया गया।

राज्य के अभी तक कुल–460 अंचल अधिकारियों को अनुग्रह नारायण सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना में चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है तथा शेष के लिए प्रस्तावित है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को उनकी विभागीय आवश्यकता के अनुरूप राजस्व से संबंधित सभी विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2014–5 में नवनियुक्त/प्रौन्नत राजस्व अधिकारियों (पूर्व अंचलनिरीक्षक) के तीन माह का राजस्व एवं अन्य विषयों का प्रशिक्षण विपार्ड, वाल्मी, पटना में दिया जा रहा है अभी तक तीन सत्र पूर्ण किया गया है जिसमें 136 राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, तथा शेष के प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के तहत राज्य के चौमुखी विकास हेतु सभी राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण चलाने का कार्यक्रम है तथा इस कार्यक्रम हेतु–50,00,000/–(पचास लाख) का बजट उपवंध राज्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित है।

28. वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं तथा एतदर्थ कर्णांकित राशि की जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहूँगा।

क्रं0	योजना का नाम	उद्व्यय (रू0 लाख में)
1.	भू–अभिलेख का अद्यतीकरण	4674.42
2.	जोतों की चकबंदी	900.00
3	भूमि सुधार उप समाहत्ताओं के न्यायालय कक्ष/कार्यालय निर्माण की योजना	01.00
4.	कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन के लिए सभी जिला मुख्यालयों/अनुमंडल मुख्यालयों/प्रखण्ड मुख्यालयों में भूमि बैंक योजना	01.00
5.	सरकारी भूमि की घेरा बंदी	49.00
6.	विभागीय मुख्यालय कार्यालय/ प्रकोष्ट का आधुनिकीकरण के मद में	100.00
7.	क्षमता वर्द्धन मद में	50.00
8.	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत गृह विहीनों के लिए वास भूमि	138.34
9.	बिहार गृह स्थल क्रय नीति–2011 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के गृह विहिन परिवारों के लिए गृह निर्माण हेतु	100.00
10	सम्पर्क सड़क	200.00
11	महादलित विकास योजना (अनुसूचित जाति घटक सहित)	2075.08
12	बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय कक्ष/भवन निर्माण	50.00
13	एन0एल0आर0एम0पी0 (C.S.S)	5495.00
	कुल योग	13833.84

गैर योजना एवं योजना मद में प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है।

(क)	गैर योजना मद में प्रस्तावित राशि	–	7,09,06,01,000	(सात अरब नौ करोड़ छः लाख एक हजार)
(ख)	राज्य योजना	–	1,26,34,84,000	(एक अरब छब्बीस करोड चौतीस लाख चौरासी हजार)
(ग)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	–	0	(शून्य)
(घ)	केन्द्रीय योजनागत योजना	–	0	(शून्य)
	कुल योग	–	**8,35,40,85,000**	**(आठ अरब पैतीस करोड़ चालीस लाख पचासी हजार)**

इस प्रकार राजस्व प्रशासन के द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर निर्धारित रामय सीमा के अंदर उपलब्धियों को प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हमे आशा है कि अपने इस प्रयास में लक्ष्य के अनुरूप ही नहीं बल्कि उस से अधिक सफलता प्राप्त करेंगें।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए रूपये **8,35,40,85,000 (आठ अरब पैतीस करोड़ चालीस लाख पचासी हजार)** से अनाधिक राशि प्रदान की जाय।

धन्यवाद !

बिहार स्टेट टेक्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि॰ पाठ्य–पुस्तक भवन बुद्ध मार्ग, पटना द्वारा
आादेशित तथा पाकीज़ा ऑफसेट, पटना द्वारा 700 प्रतियाँ मुद्रित